


दृष्टि. नं. १५६/१९९९, व. १९९९

साहसंका नं. दृष्टि. पी.—४१

साहसंका द्वा. वास्तु एट कन्सल्टन्स एंड



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

सबुद्ध, शुक्रवार, 26 मार्च, 1999

चैत्र 5, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 782/सत्रह-वि-1—1 (क) 15-1999

सबुद्ध, 26 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 25 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएं इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने और उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 में पारिजातिक संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा संक्षिप्त नाम

## अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
2 सन् 1959  
की धारा 173  
का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 173 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

“(ख) जल-कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहाँ निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो;”

(ख) उपधारा (2) में, वर्तमान प्रतिवन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिवन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

“किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि सम्पत्ति-करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाह्य प्रतिशत से कम और वही प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल-कर, वार्षिक मूल्य के साठे सात प्रतिशत से कम और साठे बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल निस्तारण-कर, वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और राँच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छता-कर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा।”

धारा 174  
का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 174 को उसकी उपधारा (1) के रूप में, पुनः संख्यांकित किया जायगा, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित की गई उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

“(ख) ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, भवन के कार्पेट एरिया या भूमि के क्षेत्र पर, यथास्थिति, भवन के मामले में कार्पेट एरिया का प्रति वर्ग फुट पर किराये को प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से या भूमि के मामले में क्षेत्र का प्रतिवर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना, और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ऐसी होगी जैसी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की श्वस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलक्टर द्वारा निर्धारित सिकल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिये उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर, और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, निर्धारित की जा सकती है ;

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में, किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि भी निश्चित कर सकती है जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो।

स्पष्टीकरण-एक :—वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कार्पेट एरिया की गणना निम्न प्रकार से की जायगी :—

(एक) कमरे—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप;

(दो) आच्छादित दरामदा—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप;

(तीन) बालकनी, कारीडर—आन्तरिक आयाम की चत्तस प्रतिशत माप;  
रसोई और भण्डार गृह

(चार) गैराज—आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप;

(पाँच) स्नानगृह, शौचालय, पोडिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कार्पेट एरिया का भाग नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण-दो :-** किसी भवन के मानक किराया, सम्मत किराया वा रोजनेबुल एमुअल रेंट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए है, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय, नहीं की जायेगी।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

(2) यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य, सम्मति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्न प्रकार होगा :-

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से; यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत कम; और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 32.5 प्रतिशत कम और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चाकीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा; और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

4—मूल अधिनियम की धारा 177 में,—

धारा 177  
का संशोधन

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(ग) भवन जो एक मात्र जेलों, न्यायालय गृहों, कोषागार, स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु ऐसे वृत्तिक, व्यावसायिक, प्राविधिक और विविधसंस्थानों को छोड़कर जिन्हें सरकार द्वारा न तो चलाया जाता है और न प्रबंध किया जाता है।”

(ख) खण्ड (ड) में, शब्द “और”, जो अंत में है, निकाल दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(छ) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के खण्ड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो; प्रतिबंध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो;

(ज) स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो।”

5—मूल अधिनियम की धारा 179 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

धारा 179  
का संशोधन

“(घ) यदि सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किराये पर उठाई गई हो, तो किरायेदार से।”

6—मूल अधिनियम की धारा 207 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :-

नई धारा 207-क  
का बढ़ाया जाना

“207-क—इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, किसी आवासिक भवन का स्वामी, या अध्यासी जो ऐसे भवन के संबंध में कर का भुगतान करने के लिये मुख्यतः दायी हो; अपने द्वारा देय सम्पत्ति कर की धनराशि से संबंधित अपने दायित्व का निर्धारण प्रत्येक वर्ष स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 174 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भवन का वार्षिक मूल्य स्वयं अवधारित कर सकता है।”

स्व-निर्धारित  
सम्पत्ति कर  
जमा करने का  
विकल्प

और अपने द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र-निर्धारण विवरण के साथ, जैसा विहित किया जाय, जमा कर सकता है।"

धारा 211 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 211 में, उपधारा (1) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 221 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 221 में, उपधारा (3) में, शब्द "आज्ञा परवाना" शब्द "ऐसी अवधि के लिए जैसा आज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाय," बढ़ा दिये जायेंगे।

नई धारा 221-क और 221-ख का बड़ाया जाना

9--मूल अधिनियम की धारा 221 के पश्चात् निम्नलिखित धारयाँ बड़ा दी जायेंगी:—

'221-क (1) जहाँ किसी भू-गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए स्वामी या अध्यासी द्वारा देय ब्याज द्वारा इस निमित्त निर्धारित दिनांक अधिनियम के अधीन अपने द्वारा देय उसके किसी अंश का भुगतान न किया हो, वहाँ उसके द्वारा उस धनराशि असंशुद्ध रह गयी हो, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के लिए निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना जहाँ भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने अपने स्वयं के कर निर्धारण के आधार पर 207-क के अधीन कर का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार भुगतान किया कर उसके द्वारा देय कर की धनराशि से निगम द्वारा कम पाया जाता है तो उस कर को ऐसी धनराशि पर जितनी देय कर से कम भुगतान की गई हो बारह वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निगम द्वारा निर्धारित से ऐसे अन्तर की धनराशि के भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

221-ख (1) किसी भू-गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए कारपेट एरिया और क्षेत्रफल का विवरण दायी प्रत्येक स्वामी या अध्यासी, यथास्थिति के कारपेट एरिया के संबंध में या भूमि के क्षेत्र संबंध में एक विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे स जो इस निमित्त विहित किया जाय, निगम को करेगा।

(2) यदि इस निमित्त, ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, कि जांच से निगम का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत गया विवरण, तथ्यात्मक रूप से असत्य है क्यों कि यथास्थिति भवन के कारपेट के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया है, तो व्यतिक्रमी पर, ऐसी रीति से, जो इस निमित्त विहित की जाय, एक हजार अनाधिक की शक्ति आरोपित कर सकता है।"

धारा 503 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 503 में, खण्ड (6) में, शब्द "कुर्क कर" के स्थान पर शब्द "यदि ऐसे किराये के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कर देय हो," रख दिये जायेंगे।

### अध्याय-तीस

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 की धारा 7 का संशोधन

11--उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम अधिनियम, 1972 की धारा 7 में शब्द और अंश "उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम 1959 की धारा 179 या यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 1 या उसकी धारा 338 के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा निर्गत किसी अधिसूचना यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरिवाज ऐक्ट, 1914 की धारा 14 (1) (ई) में" के स्थान पर शब्द और अंश "उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 149 में" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
योगेन्द्र राम त्रिपाठी  
प्रमुख सचिव।

No. 782 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 15-1999

Dated: Lucknow, March 26, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanskodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 25, 1999.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT No. 17 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 and to make consequential amendment in the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER—I  
Preliminary

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 1999,

Short title

CHAPTER—II

Amendment of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

2. In section 173 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act,

Amendment of section 173 of U. P. Act no. 2 of 1959

(a) in sub-section (1), for clause (b) the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) a water tax leviable in areas where water is supplied by the Corporation;”

(b) in sub-section (2) for the existing proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

“provided that the aggregate of the property taxes shall in no case be less than 22 percent and not more than 32 percent of the annual value of the building or land or both assessed to such taxes, so however, that the general tax shall not be less than 10 percent and not more than 15 percent, the water tax shall not be less than 7.5 percent and not more than 12.5 percent, the drainage tax shall not be less than 2.5 percent and not more than 5 percent and the conservancy tax shall not be more than 2 percent of the annual value.”

3. Section 174 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and,—

Amendment of section 174

(a) in sub-section (1) as so renumbered, for clause (b) the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) in the case of a building or land not falling within the provisions of clause (a), twelve times the value arrived at on multiplying the carpet area of the building, or the area of the land, by the applicable minimum monthly rate of rent per square foot of the carpet area in the case of building or the applicable minimum monthly rate of rent per square foot of the area in the case of land, as the case may be, and for this purpose the minimum monthly rate of rent per square foot shall be such as may be fixed once in every two years by the Mukhya Nagar Adhikari on the basis of the location of the building or the land, nature of the

उत्तर प्रदेश अध्याचारण गजट, 26 मार्च, 1999

construction of the building, the circle rate fixed by the collector for the purposes of the Indian Stamp Act, 1899 and the current minimum rate of rent in the area for such building or land and such other factors, and in such manner, as may be prescribed :

Provided that where the annual value of any building would, by reason of exceptional circumstances, in the opinion of the Corporation, be excessive if calculated in the aforesaid manner, the Corporation may fix the annual value at any less amount which appears to it equitable.

**Explanation :-** For the purpose of calculation of annual value the carpet area shall be calculated as under :-

- (i) Rooms-full measurement of internal dimension;
- (ii) Covered Verandah-full measurement of internal dimension;
- (iii) Balcony, Corridor, Kitchen and Store-50 percent measurement of internal dimension;
- (iv) Garage-one-fourth measurement of internal dimension;
- (v) Area covered by bathroom, latrines, portico and staircase shall not form part of the carpet area.

**Explanation II :-** The standard rent, the agreed rent or the reasonable annual rent of a building for the purposes of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulations of Letting, rent and Eviction) Act, 1972 shall not be taken into account while calculating the annual value of that building."

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :-

"(2) where the Corporation so resolves, the annual value for the purpose of assessment of property taxes shall,—

(a) in the case of land and owner-occupied residential building which is not more than ten years old, be deemed to be 25 percent less and if it is more than ten years but not more than twenty years old, be deemed to be 32.5 percent less, and if it is more than twenty years old, be deemed to be 40 percent less than the annual values determined under clause (b) of sub-section (1); and

(b) in the case of residential building let on rent, which is not more than ten years old, be deemed to be 25 per cent more, and if it is more than ten years but not more than twenty years old, be deemed to be 12.5 per cent more than the annual value determined under clause (b) of sub-section (1), and if it is more than twenty years old, be deemed to be equal to the annual value determined under clause (b) of sub-section (1)."

Amendment of section 177

4. in section 177 of the principal Act,—

(a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) building solely used as jails, court houses, treasuries and schools and colleges other than such professional, vocational, technical and medical institutions as are not run and managed by the Government ;"

(b) in clause (e) the word "and" occurring in the end shall be omitted;

(c) after clause (f), the following clauses shall be inserted,

"(g) any owner-occupied residential building constructed on a plot of land measuring thirty square meters, or having a carpet area upto fifteen square meters provided that the owner thereof does not own any other building in the city; and,"

(h) owner occupied residential buildings in any area which has been included in the city within the last ten years."

5. In section 179 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (c) the following clause shall be inserted, namely :—

Amendment of section 179

"(d) if the property is let in pursuance of an order under the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulations of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, from the tenant."

6. After section 207 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of a new section 207-A

"207-A. Notwithstanding any other provisions of this Act, the owner or occupier primarily liable for payment of tax in respect of a residential building may himself assess every year his liability regarding the amount of property tax payable by him and in doing so he may himself determine the annual value of the building in accordance with the provisions of clause (b) of section 174, and deposit the property tax so assessed by him in such manner, together with a statement of such self assessment in such form, as may be prescribed."

7. In section 211 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five years" the words "two years" shall be substituted.

Amendment of section 211

8. In section 221 of the principal Act, in sub-section (3) after the words "description of property", the words "for such period as may be specified in the order" shall be inserted.

Amendment of section 221

9. After section 221 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :—

Insertion of new sections 221-A and 221-B

"221-A. (1) Where the owner or occupier primarily liable for payment of tax in respect of any premises has not paid by the date fixed by the Corporation in this behalf the tax or a part of the tax payable by him under this Act, simple interest at the rate of twelve per cent per annum from the date fixed for payment of tax upto the date of payment shall be payable by him upon the amount that has remained unpaid.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), where the owner or occupier of any premises has paid tax under section 207-A on the basis of his own assessment and the tax so paid is found by the Corporation to be less than the amount of tax payable by him, simple interest at the rate of twelve per cent per annum upon the amount by which the tax so paid falls short of the tax which is found to be payable, shall be payable by him from the date fixed by the Corporation for payment of tax upto the date the amount of such difference is paid.

221-B. (1) Every owner or occupier primarily liable for payment of tax in respect of any premises shall submit to the Corporation a statement in respect of the carpet area of the building, or in respect of the area of the land, as the case may be, in such form and at such times, as may be prescribed in this behalf.

(2) If the Corporation is, on an enquiry conducted in this behalf in such manner as may be prescribed, satisfied that the statement submitted under sub-section (1) is factually incorrect in as much as may part of the carpet area of building, or any part of the area of the land, as the case may be, has been concealed, the Corporation may impose a penalty not exceeding one thousand rupees on the defaulter in such manner as may be prescribed in this behalf."

10. In section 503 of the principal Act, in clause (6) for the words, "in respect of the property" the words "in respect of the property if such tax is payable by a person entitled to such rent" shall be substituted.

Amendment of section 503

17/99

## CHAPTER—III

*Amendment of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972*Amendment of  
section 7 of U. P.  
Act no. 13 of  
1972

11. In section 7 of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972 for the words and figures "in section 179 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 (U. P. Act No. II of 1959) or in section 149 or in any rule made or notification issued under section 338 of the United Provinces Municipalities Act, 1916 or in section 14 (1) (e) of the United Provinces Town Areas Act, 1914" the words and figure "in section 149 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

By Order,  
Y. R. TRIPATHI,  
Pramukh Sachiv.